



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-“मिनी रत्न” कंपनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला: श्री गंगानगर(राज.)

फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)

फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-“MINI RATNA” Company)

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH

Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)

Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)

Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्रमांक: सीएसएफ/एसओजी/03/मैक/6-III/2015-16

दिनांक: 15.06.2015

—निविदा—सूचना:—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में विभिन्न कृषि कार्य की प्रति घंटा/प्रति एकड़ के हिसाब से ट्रैक्टर चालकों व हैल्परों की आपूर्ति करने के लिए पंजीकृत निविदादाताओं से सील बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 08.07.2015 को सायं 3 बजे तक स्वीकार की जावेगी, जो उसी दिन शाम 4 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी, विभिन्न कृषि कार्यों को करने हेतु लाईसेंस शुदा ट्रैक्टर चालक व हैल्पर लगाने होंगे। पंजीकृत इच्छुक ठेकेदार को निविदा में दिये गये प्रोफार्म में विभिन्न कृषि कार्यों की प्रति घंटा/प्रति एकड़ के हिसाब से ट्रैक्टर चालकों व हैल्परों की आपूर्ति करने हेतु दर देनी होगी तथा निविदा के साथ धरोहर राशि रुपये 25000.00 (रु. पच्चीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ को देय हो, निविदा के साथ सलंगन करना आवश्यक है। विभिन्न कार्यों का विवरण, नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 08.07.2015 अपराह्न 2.00 बजे तक 100 रु. (मांग पत्र के अनुसार) की डीमाण्ड ड्राफ्ट भुगतान (जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ को देय हो) के पश्चात् प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त जानकारी हमारी वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी उपलब्ध है। प्राप्त निविदाओं में किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक सी.एस.एफ. सूरतगढ़ के पास सुरक्षित है।

प्रबंधक (अभियांत्रिकी)

कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लि०
केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ (राज.)
मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु नियम व शर्तें
निविदा सूचना दिनांक 15.06.2015 के सन्दर्भ में।

1. निविदादाता के पास अपना पैन कार्ड होना अनिवार्य है ताकि भुगतान के समय किसी प्रकार की दुविधा न हो।
2. निविदादाता द्वारा रुपये 25000/- धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सूरतगढ के पक्ष में देय होना चाहिए जो निविदा देने से पूर्व फार्म खजांची के पास जमा करवानी होगी असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि के बिना बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी। यदि ऐजेन्सी अनुबन्ध के नियम व शर्तों का पालन करने में विफल रहती है या जनशक्ति की आपूर्ति की निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब होता है या कार्मिक प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जनशक्ति द्वारा लगातार अनुपस्थित होने पर या कदाचार करने पर ज़मा सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जायेगा जमा सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा के रूप में रख ली जायेगी।
3. प्रारम्भ में अनुबन्ध का कार्यकाल एक वर्ष है जिसे आवश्यकता पड़ने पर वर्ष दर वर्ष आधार पर अन्य दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है यदि जनशक्ति प्रदान करने वाली ऐजेन्सी की सेवाएं असंतोषजनक रहने की स्थिति में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सूरतगढ का सक्षम अधिकारी अपने विवेक से एक महीने के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।
4. सुरक्षा, जोखिम अक्षमता वैचारिक मतभेद और गोपनीयता भंग करने या अनुचित आचरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सूरतगढ द्वारा अस्वीकार्य कर्मों का कार्यालय से लिखित नोटिस प्राप्त होते ही तुरन्त जनशक्ति प्रदाता करने वाली संस्था / ठेकेदार उत्तम कर्मों को अविलम्ब कार्य से हटाकर तुरन्त नये कर्मों उपलब्ध करवाना होगा।
5. चालक प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान, उपकरण या वाहन की चोरी क्षति या डकैति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सूरतगढ की जिम्मेवारी नहीं होगी।
6. संस्था ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से यदि किसी ट्रैक्टर / मशीन का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जायेगी नुकसान का आंकलन करने निदेशक महोदय के द्वारा गठित कमेटी से करवाया जायेगा और इस संदर्भ में निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।
7. चालक प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मियों को कार्य स्थल पर सोंपे गये कार्य करते हुए सौहार्दपूर्ण सकारात्मक एवं कुशल होना चाहिए और उनके कार्य सद्भावना को बढ़ावा दे और इस निगम की छवि में सुधार करे। जिनशक्ति प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए ऐजेन्सी खुद जिम्मेदार होगी।
8. जिनशक्ति प्रदान करने वाली ऐजेन्सी के कर्मों कार्यालय के विवरण संचालन प्रक्रिया तकनीकी खुलासे सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संगठनात्मक मामलों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट या खुलासा नहीं करेंगे।
9. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 न्युनतम मजदूरी अधिनियम कर्मकार मुआवजा अधिनियम और समय समय पर लागू कानूनों नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन का वैधानिक दायित्व सिर्फ और सिर्फ चालक प्रदान करने वाली ऐजेन्सी का होगा तथा ईपीएफ एवं ईएसआई का पंजीकरण प्रमाणपत्र नियमानुसार आवश्यक होगा।
10. तैनात व्यक्ति को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सूरतगढ के खिलाफ कर्मचारी नियुक्त संबंध एवं स्थायी रोजगार के लिए दावा करने का हक नहीं होगा। इस विषय में हमारे साथ नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति से वचनबन्ध प्राप्त कर ले।
11. चालक प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये चालकों के पास वैध ड्राईवींग लाइसेंस का होना आवश्यक है।
12. मानव शक्ति प्रदाता संस्थान का दिया गया कार्य आदेश संस्थान द्वारा किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
13. मानव शक्ति प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगारों को निगम की और से भोजन, आवागमन संसाधन चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मानव शक्ति प्रदाता संस्था की होगी।
14. ठेकेदार / संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कामगार निगम की जरूरत व आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जायेंगे। जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटायी/बढ़ायी जा सकती है। चालक समय पर न उपलब्ध कराने की स्थिति में फार्म को यह अधिकार होगा कि वह चालक की अनउपलब्धता की वजह से हुये नुकसान की भरपाई मानव शक्ति प्रदाता संस्था से कर सकेगा।
15. मानव शक्ति प्रदाता संस्था बिलों का भुगतान 15 दिन पर टैक्स काटकर देय होगा।
16. (सर्विस टैक्स) की राशि मानव शक्ति प्रदाता संस्था द्वारा बिल में क्लेम करने पर ही फार्म द्वारा देय होगा।
17. मानव शक्ति प्रदाता संस्था व निगम के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला आर्बिट्रेशन हेतु अध्यक्ष -सह-प्रबन्धक निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित / मनोनित व्यक्ति के द्वारा किया गया निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम व मान्य होगा एवं उनके साथ किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ होगा।
18. मानव शक्ति प्रदाता संस्था द्वारा प्रदत्त चालक / कामगारों को नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उसकी मासिक रिपोर्ट (श्रमिकों चालकों को किए गये पिछले 15 दिन के भुगतान की प्रमाणित रसीद अथवा बैंक खाते का विवरण बिल के साथ) नियमित रूप से फार्म को देगा।
19. मानव शक्ति प्रदाता संस्था द्वारा लगाए गये श्रमिकों या चालकों के साथ फार्म में कार्य करने के दौरान यदि कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो उसके लिए मानव शक्ति प्रदाता संस्था ही पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगी।

उपरोक्त नियम व शर्तें मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली गई है व मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

आवेदक

(हस्ताक्षर मय मोहर)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

निविदा-प्रपत्र

दिनांक:

सेवा में,

निदेशक
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़

महोदय,

संलग्न नियम व शर्तों पर, मशीनों द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मानव शक्ति प्रदान करने हेतु हमारे दर निर्मांकित हैं।

क्र० सं०	यांत्रिकी ऑपरेशन का विवरण	दर रुपये प्रति एकड़/घंटा/बट/ट्रीप/दिवस	क्र० सं०	यांत्रिकी ऑपरेशन का विवरण	दर रुपये प्रति एकड़/घंटा/बट/ट्रीप/दिवस
1	ऑफ सैट हैरो चलाना	 रुपये प्रति एकड़	13	ट्रेक्टर माउंटैड स्प्रेयर चलाना	 रुपये प्रति एकड़
2	कल्टीवेटर चलाना	 रुपये प्रति एकड़	14	जे० सी० बी० मशीन चलाना	 रुपये प्रति एकड़
3	सुहागा चलाना	 रुपये प्रति एकड़	15	स्कू पम्प ट्रेक्टर द्वारा चलाना	 रुपये प्रति घंटा
4	सीड ड्रोल चलाना	 रुपये प्रति एकड़	16	पडलिंग ऑपरेशन	 रुपये प्रति एकड़
5	रोटावेटर चलाना	 रुपये प्रति एकड़	17	घास/पटेरा कटाई ट्रेक्टर द्वारा	 रुपये प्रति एकड़
6	बॉर्डर हैरो से बट डालना	 रुपये प्रति बट (1 बट = 250 मीटर')	18	ट्रेक्टर माउंटैड कराहा	 रुपये प्रति घंटा
7	डिस्क / एम. बी. प्लाऊ चलाना	 रुपये प्रति एकड़	19	स्पाईक टूथ हैरो से फसल में गुड़ाई	 रुपये प्रति एकड़
8	ट्रयब्वेल / ईजन चलाना	 रुपये प्रति घंटा	20	कल्टीवेटर से फसल में गुड़ाई	 रुपये प्रति एकड़
9	सिंप्रकलर जनरेटर चलाना	 रुपये प्रति घंटा	21	ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा ट्रांसपोर्ट (12 किमी० के दायरे में आना व	 रुपये प्रति ट्रॉली
10	तोता प्लाऊ चलाना	 रुपये प्रति एकड़	22	लेजर लेवलर चलाना	 रुपये प्रति घंटा
11	कम्बाईन हारवैस्टर चलाना	 रुपये प्रति एकड़	23	हैल्पर कार्य	 रुपये प्रति दिवस
12	हाई कैपेस्टी स्प्रेयर चलाना	 रुपये प्रति एकड़			

नोट:- इस निविदा प्रपत्र के साथ अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पता :-

फोन न०/मो० न० :-

संलग्नक :- 1:-

2:-